कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश
(कक्ष–मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी, भोपाल)
वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)
E-mail-mptigerfoundation@mp.gov.in & citesmp@gmail.com, Tel-0755-2674206

जीवित प्राणी साईटिस प्रजातियों (LIVING ANIMAL SPECIES OF CITES) के अनिवार्य पंजीयन किये जाने के संबंध में

प्रेसविज्ञप्ती,
(दिनांक 02.05.2024)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत साइटिस प्रजातियों (CITES Species) को अनुसूची–IV में जोडकर उनके रजिस्ट्रेशन, जन्म–मृत्यु की जानकारी संधारण, स्वामित्व हस्तांतरण, व्यापार व अन्य संबंधित कार्यवाही हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 28.02.2024 को जीवित प्राणी प्रजातियां (रिर्पोटिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम 2024 के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है जो जारी दिनांक से प्रवृत्त है। इसमें मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. को उपरोक्त कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है। इन जीवित प्राणी प्रजातियों के रजिस्ट्रेशन हेतु जारी दिनांक 28.02.2024 से 06 माह की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

इस हेतु वर्तमान में परिवेश 2.0 पोर्टल के माध्यम से पंजीयन प्रारंभ हो चुके है। प्रत्येक आवेदन के साथ पंजीयन हेतु **1000/– (एक हजार रूपये)** का शुल्क निर्धारित है। जिसे **मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति के खाता संख्या 10571048460 बैंक– भारतीय स्टैट बैक, मुख्य शाखा टी.टी.नगर आईएफएससी कोड SBIN0001308** में जमा किया जाना है।

इस संबंध में दिनांक 30.04.2024 को वन भवन भोपाल में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 की धारा 49–एम का क्रियान्वयन एवं जीवित प्राणी प्रजातियां (रिर्पोटिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम 2024 के संबंध में प्राथमिक तौर पर राज्य वन अनुसंधान संस्थान (SFRI) जबलपुर में पदस्थ पादप वैज्ञानिक एवं प्राणी वैज्ञानिक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (TFRI) जबलपुर में पदस्थ पादप वैज्ञानिक, स्कूल ऑफ वाइल्डलाईफ फॉरेन्सिक एवं हेल्थ जबलपुर में पदस्थ प्राणी चिकित्सा विशेषज्ञ, म.प्र. के समस्त टाइगर रिजर्व में कार्यरत वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, फील्ड बायोलॉजिस्ट, प्रदेश के चिड़ियाघरों में कार्यरत अधिकारियों, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं वाइल्ड लाईफ कन्जर्वेशन ट्रस्ट में पदस्थ वन्यप्राणी चिकित्सा विशेषज्ञ स्तर के अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

आम जनमानस को यह भी सूचित किया जाता है कि जिनके पास जीवित प्राणी साईटिस प्रजातियाँ (Living Animal Species of CITES) है उनको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिवेश पोर्टल 2.0 (PARIVESH 2.0) में ऑनलाईन आवेदन जमा कराकर उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसके अतिरिक्त उक्त जीवित प्राणी प्रजातियों के जन्म–मृत्यु, स्थानांतरण एवं प्रजनन हेतु भी परिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन निर्धारित समय–सीमा मे किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त पोर्टल पर पंजीयन हेतु भारत सरकार द्वारा 06 माह (01 मार्च 2024 से 31 अगस्त 2024 तक) की सीमा निर्धारित है। अतः जीवित प्राणी के धारकों द्वारा उक्त समय–सीमा में पंजीयन कराना होगा व निर्धारित समय–सीमा के उपरांत उक्त प्रजातियों को बिना पंजीयन के रखना गैर कानूनी होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु निकटतम वनमण्डल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है एवं CITES में शामिल जीवित प्राणी प्रजातियों की सूची लिंक https://checklist.cites.org/#/index-download से प्राप्त की जा सकती है।

02/5/24

(सत्यानंद)
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

जीवित प्राणी साईटिस प्रजातियों (Living Animal Species of Cites) के अनिवार्य पंजीयन किये जाने के संबंध में

Cites में शामिल जीवित प्राणी प्रजातियों की सूची लिंक "https://checklist.cites.org/#/index-download" से प्राप्त करें ।